दिनांक 20.03.2018 को प्रातः 11:00 बजे बैठक हाल, प्रथम तल, जिला विकास भवन कार्यालय, रोहतक में श्रीमती रेणु डाबला, मेयर, नगर निगम रोहतक की अध्यक्षता में नगर निगम की बजट व सदन की सामान्य बैठक आयोजित की गई। जिसमें निम्नलिखित पार्षदगण उपस्थित हुएः-

1. श्रीमती मंजू, सदस्य वार्ड नं0-6 एवं वरिष्ठ उप-मेयर, नगर निगम, रोहतक।
2. श्री अशोक कुमार, सदस्य वार्ड नं0-16 एवं उप-मेयर, नगर निगम, रोहतक।
3. श्रीमती सुशीला इंदौरा, सदस्य वार्ड नं0-3, नगर निगम, रोहतक।
4. श्रीमती उपासना देवी, सदस्य वार्ड नं0-8, नगर निगम, रोहतक।
5. श्री बलराज सिंह, सदस्य वार्ड नं0-9, नगर निगम, रोहतक।
6. श्री अशोक कुमार, सदस्य वार्ड नं0 10, नगर निगम, रोहतक।
7. श्री गुलशन ईशपुनियानी, सदस्य वार्ड नं0 12, नगर निगम, रोहतक।
8. श्री संजय, सदस्य वार्ड नं0-13, नगर निगम, रोहतक।
9. श्री जयकिशन, सदस्य वार्ड नं0-17, नगर निगम, रोहतक।
10. श्री अनिल, सदस्य वार्ड नं0-19, नगर निगम, रोहतक।
11. श्रीमती लक्ष्मी, सदस्य वार्ड नं0-20, नगर निगम, रोहतक।
12. श्री जयभगवान सैनी, मनोनित सदस्य, नगर निगम, रोहतक।
13. श्री मदन लाल कुरडा, मनोनित सदस्य, नगर निगम, रोहतक।
14. श्री विजय कुमार, मनोनित सदस्य, नगर निगम, रोहतक।

सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदया ने बैठक में उपस्थित सभी पार्षदगणो तथा अधिकारियों का स्वागत किया। तत्पश्चात दिनांक 28.11.2017 की सदन की बैठक हुई बैठक में लिये गये निर्णयो पर की गई कार्यवाही रिपोर्ट पत्र क्रमांक 1053-80 दिनांक 15.03.2018 द्वारा सभी सदस्यगण को भिजवा दी गई थी। सदन में इस कार्यवाही रिपोर्ट पर किसी भी सदस्य द्वारा कोई आपति दर्ज नहीं करवाई गई। अतः इसे सर्वसम्मति से पारित किया गया। तदोपरान्त बैठक की कार्रवाई आरम्भ करते हुए बजट प्रस्तुत किया गया। जिसे सदन द्वारा सर्वसम्मति द्वारा पारित किया गया जोकि निम्न प्रकार है:-

Income

Income Report of M.C. Rohtak For The Period 01-04-2017 to 31-12-2017

Sr. No.	Head Of Account	Proposed Budget 2017-18 (In Lacs)	Actual Income up to December, 2017 (in lacs)	Tentative Income 1/1/2018 to 31/3/2018	Total Tentavie income upto 31/3/2018	Proposed Budget 2018-19 (In Lacs)	Actual Income up to March, 2016
1	Miscellaneous(RTI, Tender Form Fees, Transfer Fees)	100.00	18064608.00	6021535.00	24086143.00	300.00	
2	House Tax Proposed & Arrear	1950.00	44611639.95	14870546.00	59482185.95	3600.00	
3	Commercial Trade License	200.00	1944550.00	648183.00	2592733.00	200.00	
4	Motor Tax	100.00	961421.00	320473.00	1281894.00	100.00	
5	Development Charge	600.00	276070212.00	92023404.00	368093616.00	800.00	
6	Coping Fees	23.00	1376844.00	458948.00	1835792.00	23.00	
7	Rent	200.00	12783319.00	4261106.00	17044425.00	200.00	
8	Service Tax	25.00	3292345.00	1097448.00	4389793.00	45.00	
9	Cess	85.00	8332399.00	2777466.00	11109865.00	85.00	
10	Sale Of Land (Auction of Shops)	200.00	2016725.00	672241.00	2688966.00	100.00	
11	Garden & Road Side Trees	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
12	Tehbazari/Panalty and fines of Temp. encroachment	10.00	182745.00	60915.00	243660.00	20.00	
13	Advertisement	150.00	6549390.00	2183130.00	8732520.00	110.00	
14	Electricity Duty (Municipal Tax)@5 paise per unit	800.00	16355077.00	5451692.00	21806769.00	620.00	
15	Slaughter House	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
16	Show Tax	1.00	163440.00	54480.00	217920.00	1.00	
17	Excise Duty	200.00	570241.00	190080.00	760321.00	200.00	
18	Adv. & Dep. Earnest money & Seccrity	400.00	35556137.00	11852045.00	47408182.00	500.00	

	etc.						
19	Stamp Duty	1700.00	97090269.00	32363422.00	129453691.00	2300.00	
20	Interest Received	700.00	45414332.00	15138110.00	60552442.00	700.00	
21	Fire Tax	84.00	862897.80	287632.00	1150529.80	90.00	
22	Contract Of Dead Animal	15.00	0.00	0.00	0.00	12.00	
23	Fire Fighting Scheme/Fire NOC and Renewal Fire NOC	200.00	1209210.00	403070.00	1612280.00	200.00	
24	Tower Fees & Arrears	400.00	151000.00	50333.00	201333.00	400.00	
25	User charges for the year 2018-19	500.00	0.00	0.00	0.00	880.00	
	Total	**8646.00**	**573558801.75**	**191186259.00**	**762931447.75**	**11489.00**	

EXPENDITURE

Expenditure Report of M.C. Rohtak for the Period of 01-04-2017 to 31-3-2018

Sr. No.	Head Of Account	Proposed Budget 2017-18 (In Lacs)	Actual Expenditure up to December, 2017 (in lacs)	Tentative Expenditure 1/1/2018 to 31/3/2018	Total Tentavie Expenditure upto 31/3/2018	Proposed Budget 2018-19 (In Lacs)
1	Establishment Including Geo Lab	3800.00	321369545.00	58394327.00	379763872.00	4570.00
2	Contigency Health & Sanitation	70.00	6066059.00	830940.00	6896999.00	50.00
4	Contigency Of General, Engg., L.O., Garden, Lib., Account, Fire Branch	120.00	8601998.00	1911555.00	10513553.00	250.00
5	Misc. Exp.	665.00	60596900.00	11135320.00	71732220.00	1454.20
6	Poor Relief Fund/Dev. Work	300	35928250.00	5976083.00	41904333.00	500.00
7	Purchase Of Vehicle	0.00	50832.00	16944.00	67776.00	1.00
8	Advance & Deposited	200	15667460.00	1250000.00	16917460.00	200.00
9	Service Tax	30	3067136.00	1022378.00	4089514.00	50.00
10	Cess	75	30017656.00	0.00	30017656.00	100.00
11	Planning /Survey/Sites	50	3842088.00	1150000.00	4992088.00	55.00

12	Proposed payments of Sanitation Contractors	3300.00	249448968.00	40544828.00	289993796.00	4100.00
	Total	**8610.00**	**734656892.00**	**122232375.00**	**856889267.00**	**11330.20**

बजट सर्वसम्मति से पारित किया गया। इसके उपरांत उपस्थित पार्षदो द्वारा मेयर महोदय की स्वीकृति से सदन में निम्न बिन्दु सदन में रखे गये:-

क्रम संख्या	बिंदू	निर्णय
1.	रोहतक शहर में साईक्लिंग शैयरिंग सिस्टम चालू करने बारे। रोहतक शहर में साईकिलिंग :ैयरिंग सिस्टम चालू किया जाना है जिसमें फिक्स रेट/रजिस्ट्रैशन के आधार पर कोई भी व्यक्ति किसी भी स्टैण्ड से साईकिल लेकर जा सकता है। यह शहर में यूनिवर्सिटी व दिल्ली रोड आदि मुख्य स्थानों पर चालू किया जायेगा, यह ई0 निविदा के माध्यम से किया जायेगा। प्रस्ताव सदन में स्वीकृति हेतू प्रस्तुत है।	सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस बारे नगर निगम, रोहतक केवल जगह उपलब्ध करवायेगा व कम्पनी अपनी आय साईकिल स्टैण्ड पर विज्ञापन के माध्यम से ही करेगी। नगर निगम कार्यालय इस बारे कोई भी खर्च वहन नहीं करेगा तथा इस प्रोजेक्ट में केवल साईकिल बनाने वाली कम्पनी ही भाग ले सकती है। **(कार्यकारी अभियन्ता, नगर निगम रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
2.	नगर निगम रोहतक की बैठक दिनांक 14.06.2016 के प्रस्ताव नं0 9 के अनुसार पैट्रोल पंप की लीज बढाने के लिए फाईनैंस एण्ड कान्ट्रैक्ट कमेटी द्वारा पास किये गये प्रस्ताव का अनुमोदन। रोहतक नगर निगम की जमीन पर पैट्रोल पम्पों को लीज पर दी हुई है। जिसमें दो पैट्रोल पंपो द्वारा 2017-2018 के अपने बकाया जात जमा करवा दिये गये है। कम्पनी द्वारा इस बारे में NO DUES देने के लिए आवेदन किया हुआ है। अतः सदन की बैठक में स्वीकृति हेतू प्रस्तुत है।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जिन द्वारा अपनी बकाया राशि जमा करवा दी उनकी लीज नियमानुसार बढाकर इनकी लीज बढा दी जाये व जिन पैट्रोल पंपो द्वारा अपनी बकाया राशि जमा नहीं करवाई गई है, उन्हे उनकी बकाया राशि जमा करवाने के लिए 15 दिन का समय देते हुए अंतिम नोटिस दिया जाये यदि वह नोटिस की पालन नहीं करते है तो उनकी लीज को रद किया जाये। **(भू- अधिकारी, नगर निगम रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
3.	नगर निगम रोहतक के अंतर्गत आने वाली जिन कालोनियों में स्ट्रीट लाईट नही लगाई गई है उन कालोनियों में स्ट्रीट लाईट लगवाने हेतू नई एल0ई0डी0लाईट खरीद की जाये।	इस बारे सदन द्वारा निर्णय लिया गया कि बजट स्वीकृत होकर आने उपरांत नई एल0ई0डी0 लाईट खरीद ली जायेगी तथा आवश्यकतानुसार लाईटे लगा दी जायेगीं। केवल अधिकृत कालोनी में ही स्ट्रीट लाईट लगेंगी व अनाधिकृत क्षेत्र में स्ट्रीट लाईट नहीं लगाई जायेंगी।

		(कार्यकारी अभियन्ता, नगर निगम रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)
4.	वार्ड नं0 17 के पार्षद श्री जयकिशन जी द्वारा अनुरोध पत्र प्राप्त हुआ है जिसमे उन्होने लिखा है कि नगर निगम की टी0पी0 स्कीम बहुत पुरानी है इसमें बडे-बडे प्लाटो के नक्शे पास होते है, परन्तु छोटे प्लाटों के नक्शे प्रास नही हो पाते है। अतः इसको कैटेगरी लैस करवाने व उनके नक्शे पास करने की अनुमति दी जाये।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि टी0पी0 स्कीम वाली कालोनी न तो टी0पी0 स्कीम अनुसार विकसित हुई तथा न ही उनके Completion Complete है। अतः इन्हे विकसित कालोनी का दर्जा देने की देने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाये। **(सहायक नगर योजनाकार, नगर निगम रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
5.	नगर निगम रोहतक के अंर्तगत आने वाले सुखपुरा चौक या सुखपुरा चौक से आगे गोहाना की तरफ जाते हुए वीटा मिल्क प्लांक से अगले चौक का नाम संत शिरोमणी कबीर चौक रखा जाये। इसके अतिरिक्त रोहतक शहर में कोई भी ऐसा चौक जिसका कोई नाम नही है उसका नाम महारानी लक्ष्मीबाई चौक रखने हेतू सदन में विचारार्थ प्रस्तुत है।	सदन द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया। **(कार्यकारी अभियन्ता, नगर निगम रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
6.	वार्ड नं0 8 की पार्षद उपासना देवी की ओर से अनुरोध किया गया है कि वार्ड नं0 8 के अंर्तगत आने वाले बलियाणा गांव में आमजन की सुविधा के लिए गली बनाई गई थी जिसे गांव के ही तीन आदमियों भूपेन्द्र पुत्र श्री सीताराम, नसीब पुत्र श्री कपूर सिंह तथा विनोद पुत्र श्री महासिंह की जमीन सडक मे ले ली गई थी। अतः उक्त तीनो आदमियों की जितनी जमीन गली निर्माण में ली गई थी उतनी ही जमीन गांव की पंचायती जमीन में से देने बारे सदन में विचारार्थ प्रस्तुत है।	इस बारे सदन द्वारा निर्णय लिया कि बलियाणा गांव में आमजन की सुविधा के लिए गली बनाई गई थी जिसे गांव के ही तीन आदमियों भूपेन्द्र पुत्र श्री सीताराम, नसीब पुत्र श्री कपूर सिंह तथा विनोद पुत्र श्री महासिंह की जमीन सडक मे ले ली गई थी। इनकी प्रस्तावना तैयार करके आयुक्त, मण्डल रोहतक, रोहतक की अध्यक्षता में गठित कमेटी से रेट निर्धारित करवारकर सरकार को स्वीकृति हेतु भेजा जाये। **(भू- अधिकारी, नगर निगम रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
7.	वार्ड नं0 8 गांव बलियाणा में माजरा पाना व भैराण पाना में गउघाट बनाने बारे सदन में विचारार्थ प्रस्तुत है।	स्वीकृत है। **(कार्यकारी अभियन्ता, नगर निगम रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**

8.	वार्ड नं0 8 गांव पहरावर के निवासियों द्वारा अनुरोध पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होने पहरावर गांव में पुराने शिवालय के साथ तलाब के किनारे 36 बिरादरी के लिए एक धर्मशाला का निर्माण करने हेतू नगर निगम से गांव पहरावर में 1000 गज जमीन की मांग की है। सदन में विचारार्थ प्रस्तुत है।	इस बारे सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि वहां पर सामुदायिक केन्द्र का निर्माण किया जाये जोकि किसी संस्था आदि का नहीं होगा बल्कि नगर निगम, रोहतक का ही होगा। **(कार्यकारी अभियन्ता, नगर निगम रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
9.	क) वार्ड नं0 19 काफी बडा वार्ड है व वार्ड में सफाई कर्मचारियो की संख्या काफी कम होने के कारण वार्ड वासियों की सफाई को लेकर समस्याये आती रहती है इसके अतिरिक्त वार्ड में जगह–2 गंदगी के ढेर होने के कारण बीमारियो व मक्खी मच्छरो का डर बना रहता है। अतः जनहित मे वार्ड नं0 19 में सफाई कर्मचारियों की संख्या बढाई जाये ताकि वार्ड की सफाई व्यवस्था को दुरूस्त किया सके।	इस बारे सदन को अवगत करवाया गया कि वर्तमान में नगर निगम, रोहतक में ज्यादा सफाई कर्मचारी नहीं है, जल्द ही सरकार द्वारा इनकी भर्ती की जानी है। इसके अतिरिक्त वार्ड नं0 19 में सफाई व्यवस्था है व कही पर भी कूड़े के ढेर नहीं है तथा भविष्य में भी सफाई व्यवस्था को कायम रखा जायेगा। **(मुख्य सफाई निरीक्षक, नगर निगम रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
	(ख) वार्ड नं0 19 में कई कालोनियों में स्ट्रीट लाईट नही है। बाहरी वार्ड होने के कारण वार्ड अन्धेरे की वजह से काफी सुनसान रहता है। कई बार चौर व चैन स्नैचिंग की घटनाएं भी हो चुकी है। इस बारे वार्ड वासियो कई बार संबधित पार्षद के पास जाकर शिकायत भी की है,। अतः जनहित में वार्ड नं0 19 की जिन कालोनियों में स्ट्रीट लाईट नही है, उनमें स्ट्रीट लाईट लगवाई जाये।	इस बारे सदन द्वारा निर्णय लिया गया कि बजट स्वीकृत होकर आने उपरांत नई एल0ई0डी0 लाईट खरीद ली जायेगी तथा आवश्यकतानुसार लाईटे लगा दी जायेगीं। केवल अधिकृत कालोनी में ही स्ट्रीट लाईट लगेंगी व अनाधिकृत क्षेत्र में स्ट्रीट लाईट नहीं लगाई जायेंगी। **(कार्यकारी अभियन्ता, नगर निगम रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
	(ग) वार्ड नं0 19 में सीवरेज की लाईन बंद पडी है अतः उसे जल्द से जल्द खुलवाया जाये।	इस बारे सदन को अवगत करवाया गया कि जल्द ही उपायुक्त महोदय, रोहतक द्वारा गठित कमेटी द्वारा भी सभी सीवर लाईन व ड्रैन की सफाई की जांच की जायेगी यदि सफाई व्यवस्था में कोई भी कोताही पाई जाती है तो उपायुक्त महोदय द्वारा संबंधित अधिकारी के विरूध कार्यवाही भी की जायेगी। इस बारे आयुक्त महोदय द्वारा आदेश दिये गये कि सीवर लाईन की जल्द से जल्द सफाई करवाई जाये। **(कार्रवाई कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रीकि विभाग, रोहतक द्वारा की**

	(घ) वार्ड नं0 19 मे जिन स्थानो पर सीवर व पानी की लाईन नही है वहां सीवर व पानी की लाईन बिछाई जाये।	**जायेगी।)** अमृत योजना में स्वीकृत कार्य योजना के अन्तर्गत ही होंगें। **(कार्रवाई कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रीकि विभाग, रोहतक द्वारा की जायेगी।)**

मेयर नगर निगम, रोहतक की स्वीकृति उपरांत सदन की बैठक में निम्न अतिरिक्त एजेन्डो पर विचार-विमर्श किया गया:-

1.	वार्ड नं0 16 के पार्षद द्वारा बताया गया कि सूर्य नगर, शास्त्री नगर (सिंहपुरा पुरा रोड़) पर लोगो के घरो में पीने का पानी नहीं पहुंचता है।	इस बारे कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रीकि विभाग, रोहतक ने सदन को अवगत करवाया कि वार्ड नं0 16 के पार्षद के साथ मिलकर मौका देखा जायेगा व जल्द ही समस्या का निदान कर दिया जायेगा। **(कार्रवाई कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रीकि विभाग, रोहतक द्वारा की जायेगी।)**
2.	वार्ड नं0 07 में किसी भी चौक का नाम भगवान परशुराम चौक रखने बारे।	सदन द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया। **(कार्यकारी अभियन्ता, नगर निगम रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
3.	वार्ड नं0 17 के पार्षद ने सदन को अवगत करवाया कि हाउस टैक्स का सर्वे दोबारा करवाया जाये क्योकि इसमें बहुत कमियां है।	जिस बारे सदन द्वारा निर्णय लिया गया कि सर्वे करवाने में काफी खर्चा होता है, अतः जो भी शिकातय प्राप्त हो उनका मौका देखकर उसे जल्द ही दुरूस्त किया जाये ताकि आम जन को कोई समस्या न हो सके। **(क्षेत्रीय कराधान अधिकारी, नगर निगम रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
4.	वार्ड नं0 16 के पार्षद द्वारा शमशान घाट के अंदर कच्चे रास्ते को पक्का किया जाये ताकि बरसात के मौसम में किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े।	सदन द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया। **(कार्यकारी अभियन्ता, नगर निगम रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
5.	वार्ड नं0 16 के पार्षद द्वारा सदन अवगत करवाया गया कि मेरे वार्ड में चल रहे विकास कार्य में गुणवता अच्छी नहीं है व कार्य लंबित है।	जिस बारे आयुक्त महोदय द्वारा मौके पर ही आदेश दिये गये कि मौके का संबंधित कार्यकारी अभियंता निरीक्षण करेंगें व ठेकेदार द्वारा किये जा रहे कार्य की अदायगी पार्षद की सहमति लेने उपरांत ही की जाये। कार्य में कमी पाई जाये तो ठेकेदार के विरूध कार्रवाई सुनिश्चित की जाये। **(कार्यकारी अभियन्ता, नगर निगम रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**

6.	किसी भी चौक का नाम स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे चौक रखने बारे।	सदन द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया। इस बारे वार्ड नं0 16 के पार्षद एंव उप मेयर द्वारा सहमति जताते हुए कहा कि मेरे वार्ड में किसी भी चौक स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे चौक का नाम रख दिया जाये। **(कार्यकारी अभियन्ता, नगर निगम रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
7.	वार्ड नं0 16 के पार्षद द्वारा सदन अवगत करवाया गया कि कुताना की ढाणियो में जल्द से जल्द गली बनवाई जाये।	जिस बारे सदन को अवगत करवाया गया कि वर्तमान में भी मैन गली का निर्माण चल रहा है तथा अधिकृत क्षेत्र में गलियो का निर्माण करवा दिया जायेगा। **(कार्यकारी अभियन्ता, नगर निगम रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
8.	वार्ड नं0 16 के पार्षद द्वारा सदन अवगत करवाया गया कि कुताना बस्ती में विकास कार्य करवाये जाये।	जिस बारे सदन को अवगत करवाया गया कि कुताना बस्ती को अमृत योजना के तहत लिया गया है जो कि 3 मार्च, 2018 को स्वीकृत हो चुकी है। जल्द ही अमृत योजना के तहत कार्य करवाये जायेगें। जिसमें प्राथमिकता के आधार पर कुताना बस्ती में सबसे पहले कार्य करवाये जायेगें। **(कार्यकारी अभियन्ता, नगर निगम रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
9.	गांव बोहर में लोगो द्वारा अवैध कब्जा किया जा रहा है जिसे रोका जाये।	जिस बारे निर्णय लिया गया कि गांव बोहर में सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले व्यक्तियो के विरूध FIR करवाई जाये। **(भू- अधिकारी, नगर निगम रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
10.	वार्ड नं0 13 के पार्षद द्वारा सदन अवगत करवाया गया कि पीने का पानी बहुत खराब आता है। इसका समाधान किया जाये।	इस बारे कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रीकि विभाग, रोहतक द्वारा सदन को अवगत करवाया गया कि दिनांक 20.03.2018 को पार्षद महोदय के साथ मिलकर आज ही मौका देखा जायेगा व उनकी शिकायत का निवारण कर दिया जायेगा। **(कार्रवाई कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रीकि विभाग, रोहतक द्वारा की जायेगी।)**
11.	वार्ड नं0 19 के पार्षद द्वारा सदन को अवगत करवाया गया कि नगर निगम द्वारा कन्हेली रोड़ पर बनाये गये डेयरी काम्पलैक्स में पानी की पाईप लाईन बिछा दी गई है, परन्तु पानी नहीं आ रहा है। इसका जल्द से जल्द समाधान किया जाये।	इस बारे कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रीकि विभाग, रोहतक द्वारा सदन को अवगत करवाया गया कि ारा कन्हेली रोड़ पर बनाये गये डेयरी काम्पलैक्स में पानी व्यवस्था के लिए जल्द ही दो टयूबैल लगवा कर पानी सप्लाई व्यवस्था कर दी जायेगी। **(कार्रवाई कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रीकि विभाग, रोहतक द्वारा की जायेगी।)**

12.	वार्ड नं0 12 के पार्षद द्वारा सदन को अवगत करवाया गया कि सीवर की सफाई हुए लगभग एक वर्ष हो गय अतः वार्ड 12 में सीवरो की सफाई करवाई जाये।	इस बारे कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रीकि विभाग, रोहतक के प्रतिनिधि द्वारा सदन को अवगत करवाया गया कि जल्द ही सीवरो की सफाई के कार्य को करवा दिया जायेगा। **(कार्रवाई कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रीकि विभाग, रोहतक द्वारा की जायेगी।)**
13.	वार्ड नं0 19 के पार्षद द्वारा सदन को अवगत करवाया गया कि रोहतक जनस्वास्थ्य अभियांत्रीकि विभाग में सीवरो की सफाई करने के लिए बड़ी मशीन है उसका ब्यौरा लिया जाये कि उसे कौन चलाता है, कितने घण्टे चलती है तथा इसके चलाने में कितना खर्चा आता है?	जिस बारे आयुक्त महोदय द्वारा आदेश दिये गये कि जल्द से जल्द पत्र लिखकर इसका ब्यौरा लिया जाये। **(कार्यकारी अभियन्ता, नगर निगम रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
14.	वार्ड नं0 10 के पार्षद ने सदन को वार्ड नं0 10 में स्थित पार्को का नामकरण करने का आग्रह किया जो कि निम्न प्रकार हैः- 1. मॉडल टाउन स्थित डबल पार्क को पूर्व उपमुख्यमंत्री डॉ0 मंगल सेन के नाम पर नामकरण किया जाये। 2. सुभाष नगर में नवनिर्मित पार्क को प्रसिद्व समाजसेवी एंव आर्य समाज के पुरोधा चौ0 मित्रसेन सिन्धु स्मृति पार्क का नाम दिया जाये। 3. झंग कालोनी डॉ0 ईश्वार आंखों के हस्पताल के सामने स्थित पार्क का नाम पार्क को विकसित करने वाले एवं ताउमर देखभाल करने वाले पूर्व आई.एफ.एस. चौ0 चन्दन सिंह राठी स्मृति पार्क रखा जाये। 4. लिबर्टी मल्टीपलेक्स के पीछे स्थित जीरो पार्क का नाम क्षेत्र के पूर्ण पार्षद स्व. लाल नागपाल स्मृति पार्क रखा जाये। 5. मॉडल टॉउन के नवनिर्मित पार्क का नाम क्षेत्र के पूर्व पार्षद बहादुचन्द बब्बर स्मृति पार्क रखा जाये। 6. मानसरोवर कालोनी में स्थित पार्क का नाम सोसायटी के संस्थापक चौ. बख्शा राम स्मृति पार्क रखा जाये।	इस बारे सदन द्वारा निर्णय लिया गया कि जिस पार्को का नाम पहले से रखा गया है उनका नाम नहीं रखा जाये तथा जिन पार्को का नाम रखा जाना है उनके लिए एक कमेटी गठित की गई जोकि निम्न प्रकार हैः- 1. श्रीमति मंजू, सदस्य वार्ड नं0 6 एव वरिष्ठ उप मेयर, नगर निगम, रोहतक। 2. श्री अशोक कुमार, सदस्य वार्ड नं0 10, नगर निगम, रोहतक। 3. कार्यकारी अभियंता-।, नगर निगम, रोहतक। 4. उप निगम आयुक्त, नगर निगम, रोहतक। 5. भू-अधिकारी, नगर निगम, रोहतक। उपरोक्त कमेटी नियमानुसार निरीक्षण करके सरकार की हिदायतो को ध्यान में रखते हुए नामकरण की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगें। **(भू- अधिकारी, नगर निगम रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**

	7. मॉडल टॉउन में स्थित लक्की पार्क का नाम शहीद राकेश सिंह स्मृति पार्क रखा जाये। 8. झंग कालोनी में स्थित नर्सरी पार्क का नाम वैश्य शिरोमणी महाराज अग्रसेन पार्क के नाम पर रखा जाये।	
15.	वार्ड नं0 20 के पार्षद ने सदन से आग्रह किया कि सुनारियां गांव के पास बने चौक का नाम शहीद बलजीत सिंह चौक रखा जाये।	इस बारे सदन को अवगत करवाया गया कि यह चौक नगर निगम, रोहतक का नहीं है इसलिए इस बारे हुड्डा विभाग को पत्र लिख दिया जायेगा। **(कार्यकारी अभियन्ता, नगर निगम रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
16.	वार्ड नं0 20 के पार्षद ने सदन को अवगत करवाया कि सुनारियां गांव में पीने का पानी नहीं पहुंचता है जिस बारे कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रीकि विभाग, रोहतक को भी काफी बार अवगत करवाया जा चुका है।	इस बारे कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रीकि विभाग, रोहतक द्वारा सदन को अवगत करवाया गया कि दिनांक 26.03.2018 को पार्षद महोदय के साथ मिलकर मौका देखा जायेगा व उनकी शिकायत का निवारण कर दिया जायेगा। **(कार्रवाई कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रीकि विभाग, रोहतक द्वारा की जायेगी।)**
17.	1. वार्ड नं0 20 के पाषर्द द्वारा सदन को अवगत करवाया गया कि दादा भराम के मंदिर तक का रिवेन्यु रस्ता पक्का किया जाये। 2. सुनारियां में तालाब की चारदीवारी की जाये व तालाब का पानी निकाला जाये। 3. सुनारियां कलां व सुनारियां खुर्द गांव के बीच में एक गली है वहां पर दोनो ओर नाली बनाई जाये।	इस बारे निर्णय लिया गया कि आबादी को सुनिश्चित करने उपरांत ही कार्रवाई की जायेगी। कार्यकारी अभियंता मौका निरीक्षण करके जनहित की कार्रवाई सुनिश्चित करें। कार्यकारी अभियंता मौका निरीक्षण करके जनहित की कार्रवाई सुनिश्चित करें। **(कार्यकारी अभियन्ता, नगर निगम रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
18.	रोहतक शहर में बने पी.जी.होस्टल पर कार्रवाई की जाये।	इस बारे सदन को अवगत करवाया गया कि पुलिस विभाग द्वारा शहर में अवैध रूप से चल रहे पी0जी0 एवं होस्टलो पर कार्रवाई की जा रही है। इसके अतिरिक्त सदन में निर्णय लिया गया कि नगर निगम क्षेत्र में जितने भी अवैध पी0जी0 एवं हास्टल इत्यादि है उन सभी को नगर निगम द्वारा नोटिस जारी करने उपरांत उन पर नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाये। **(उप निगम आयुक्त, नगर निगम, रोहतक व क्षेत्रीय कराधान अधिकारी, नगर निगम रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**

19.	वार्ड नं0 9 के पार्षद ने सदन को अवगत करवाया कि उनके वार्ड में सैक्टर 14 के मोड पर बने सी0एन0जी0 पैट्रोल पंप के सामने सडक पर वाहनो की काफी लम्बी कतार लग जाती है जिससे हादसा भी हो सकता है। अतः इसका जल्द से जल्द समाधान किया जाये।	इस बारे उप निगम आयुक्त, नगर निगम रोहतक को नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई अमल में लाने के निर्देश दिये गये। **(कार्रवाई उप निगम आयुक्त, नगर निगम, रोहतक व क्षेत्रीय कराधान अधिकरी, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जायेगी।)**
20.	Comercial Complex cum Multi Level parking PPP Mode पर बनाने बारे। 1- Old Police Station पर Parking cum Commercial Complex. 2- HUDA Complex में Parking cum Commercial Complex. 3- Sonipat Stand पर Community Center, Parking and Commercial Complex. उपरोक्त में से Old Police Station व HUDA Complex की जमीन हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा नगर निगम, रोहतक को स्थानांनतरित की जा चुकी है तथा Sonipat Stand पर स्थित जमीन नगर निगम, रोहतक की है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा नगर निगम, रोहतक को स्थानांनतरित की गई जमीन पर Parking cum Commercial Complex तथा Sonipat Stand पर Community Center, Parking and Commercial Complex PP Mode पर बनाया जायेगा।	सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया। **(कार्रवाई कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा की जायेगी।)**

इसके उपरान्त मेयर, नगर निगम द्वारा सभी उपस्थित पार्षदों तथा अधिकारियों का धन्यवाद करते हुए बैठक समाप्ति की धोषणा की।

मेयर,
नगर निगम, रोहतक।

क्रमांक MCR/Mayor/2018/ 1215-19 दिनांक 21/03/2018.

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा सांसद, रोहतक लोकसभा क्षेत्र।
2. श्री शादीलाल बत्तरा, सासद राज्यसभा सदस्य।
3. श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा विधानसभा सदस्य, गढ़ी सॉपला किलोई।
4. श्री मनीष ग्रोवर, विधानसभा सदस्य, रोहतक।
5. श्रीमति शकुन्तला खटक, विधानसभा सदस्य, कलानौर।

मेयर,
नगर निगम, रोहतक।

क्रमांक MCR/Mayor/2018/ 1231 दिनांक 21/03/2018.

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार शहरी स्थानीय निकाय विभाग, चण्डीगढ़।
2. निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय, हरियाणा, पंचकूला।
3. आयुक्त, रोहतक मंडल, रोहतक।
4. उपायुक्त, रोहतक।
5. अधीक्षक अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियात्रिकी विभाग रोहतक।
6. अधीक्षक अभियंता, उत्तरी हरियाणा विघुत प्रसारण निगम, रोहतक।
7. प्रशासक, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, रोहतक।
8. सिविल सर्जन, रोहतक।
9. सभी पार्षदगण, नगर निगम, रोहतक।
10. सभी विभागाध्यक्ष, नगर निगम, रोहतक।
11. जिला समाज कल्याण अधिकारी, रोहतक।
12. निजी सहायक आयुक्त, आयुक्त नगर निगम, रोहतक के सूचनार्थ।

मेयर,
नगर निगम, रोहतक।